



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092025-265892
CG-DL-E-02092025-265892

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3906]
No. 3906]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2025

का.आ. 4011(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड', दिल्ली (पैन AAAAC8859Q), केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड, को उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

- (क) परीक्षा शुल्क;
- (ख) संबद्धता (एफिलिएशन) शुल्क;
- (ग) पंजीकरण शुल्क, खेल शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क और अन्य शैक्षणिक प्राप्तियां;
- (घ) सीबीएसई परियोजनाओं/कार्यक्रमों से प्राप्तियां;
- (ङ) बैंक जमा/प्रतिभूतियों/ऋण एवं अग्रिम तथा आयकर रिफंड पर ब्याज;
- (च) उपरोक्त (क) से (ङ) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली पर निम्नलिखित के अध्ययधीन प्रभावी होगी:-
- (क) किसी भी वाणिज्यिक गति विधि में संलग्न नहीं होगा;
 - (ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।
3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के संबंधित वित्तीय वर्ष 2025-2026 से 2029-30 तक लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 145/2025/फा. सं. 196/90/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।